भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3698
जिसका उत्तर सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया गया

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

3698. श्री दिलीप शइकीया:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री सौमित्र खान:
श्री जुगल किशोर:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री विष्णु दयाल राम:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) द्वारा संस्वीकृत और वितरित की गई धनराशि का क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा उक्त कंपनी को प्रदान की गई पूंजी निवेश, गारंटी या किसी अन्य वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
(ग) ऋण संवर्धन और पुनर्वित्त तंत्र सहित दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा वित्तपोषण में इसकी भूमिका को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार द्वारा उक्त कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, इसकी परिसंपत्ति गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे के विकास में इसके योगदान के संबंध में कोई समीक्षा की गई है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): आईआईएफसीएल द्वारा विगत तीन वर्ष के दौरान स्वीकृत और संवितरित निधियों के क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध में संलग्न है।

(ख): विगत तीन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आईआईएफसीएल को कोई पूंजी निवेश प्रदान नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए आईआईएफसीएल को कोई सरकारी गारंटी प्रदान नहीं की गई थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने एडीबी से 500 मिलियन अमरीकी डालर की नई ऋण सुविधा के लिए गारंटी प्रदान की, तथापि, 31 मार्च 2025 तक कोई ड्रॉ डाउन नहीं किया गया था।

(ग): आईआईएफसीएल एक बोर्ड द्वारा संचालित संस्था है और इसके परिचालनात्मक संबंधित सभी निर्णय आईआईएफसीएल के बोर्ड द्वारा सरकार के अर्थक्षम अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना के माध्यम से इसे उपलब्ध कराए गए व्यापक अधिदेश के अंतर्गत लिए जाते हैं।

आईआईएफसीएल के पास परिचालनात्मक ऋण संवर्धन योजना है जिसके अंतर्गत यह विद्यमान ऋणों के पुनर्वित्तयन के लिए अवसंरचना कंपनियों द्वारा जारी बांडों के क्रेडिट रेटिंग को एए या उससे अधिक के संवर्धन के लिए आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करता है। 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, आईआईएफसीएल ने 20 अवसंरचना परियोजनाओं द्वारा 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बॉन्ड जारी करने के लिए 2,436 करोड़ रुपये की गारंटी मंजूर की है। साथ ही, आईआईएफसीएल ने अपनी पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2025 तक कुल मिलाकर 79,897 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और 50,101 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं।

(घ) और (ङ): वित्तीय सेवाएं विभाग नियमित रूप से आईआईएफसीएल की व्यापक समीक्षा करता है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, इसके वित्तीय कार्यनिष्पादन, अवसंरचना विकास में योगदान, आस्ति गुणवत्ता आदि शामिल हैं। पिछली समीक्षा बैठक 27.01.2026 को आयोजित की गई थी।

अनुबंध

विगत तीन वर्ष के दौरान, आईआईएफसीएल द्वारा स्वीकृत और संवितरित की गई क्षेत्र-वार और वर्ष-वार निधियां:

(करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	**वित्तीय वर्ष 2022-23**		**वित्तीय वर्ष 2023-24**		**वित्तीय वर्ष 2024-25**	
	सकल स्वीकृति	**संवितरण**	**सकल स्वीकृति**	**संवितरण**	**सकल स्वीकृति**	**संवितरण**
रोड	13,155	5,078	11,096	7,703	10,682	3,107
ऊर्जा	5,696	3,907	17,328	7,009	26,052	10,397
एयरपोर्ट	1,300	553	2,386	1,809	1,318	1,762
बंदरगाह	650	6	500	83	1,000	106
शहरी अवसंरचना*	-	182	-	278	-	467
लॉजिस्टिक्स	-	-	-	-	573	-
टेलीकॉम	450	300	-	-	-	-
सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना	920	-	-	-	-	-
कुल (प्रत्यक्ष ऋण + टेकआउट + इनविट + ऋण संवर्धन + बॉन्ड)	22,171	10,026	31,309	16,881	39,624	15,840
पुनर्वित्त	7,000	3,800	11,000	5,475	11,500	12,661
कुल योग	29,171	13,826	42,309	22,356	51,124	28,501

स्रोत: आईआईएफसीएल

**विगत वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित संवितरण*
